सं.ए-12025/1/2006-प्रशासन-1
भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक   flrEcj, **2007**.

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / लोक उपक्रमों

विषय :-योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखीकरण अधिकारी के पद पर भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि योजना आयोग में 12000-375-16500 रू. के वेतनमान में मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखीकरण अधिकारी के पद हेतु प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर नियुक्ति के लिए एक उपयुक्त अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता है । इस पद हेतु चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा । केन्द्र सरकार के सभी विभागों / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / लोक उपक्रमों के अधीन कार्यरत अधिकारियों जो अनुबंध में निर्दिष्ट शर्तें पूरी करते हों, के नामों पर विचार किया जाएगा ।

2. पद का वेतनमान, पात्रता शर्तें, अर्हताएं और अनुभव, प्रतिनियुक्ति की अवधि और पद से संबद्ध कार्य इत्यादि संलग्नक में दिए गए हैं ।

3. केन्द्र / राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों / विभागों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि वे इस रिक्ति को अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के सभी कार्यालयों / लोक उपक्रमों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

4. कृपया ऐसे उम्मीदवारों, जो निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हों और जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेषित करना अपेक्षित है : -

(i) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच वर्षों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियॉ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों,

(ii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया (निर्धारित प्रपत्र में) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र,

-/-

(iii) सतर्कता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है, तथा

(iv) विगत 10 वर्षों के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े / छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो अथवा दंड नहीं प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में), यथा प्रयोज्य ।

यह ध्यान रखा जाए की उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं होगा । यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दस्तावेजों सहित आत्मवृत्त का आकलन किया जाएगा ।

5. केवल ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन भेजें जो सतर्कता दृष्टि से मुक्त हो । यह रिक्ति रोजगार समाचार में भी शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी । आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन होगी ।

6. आवेदन कर्ता यह सुनिश्चित करें कि उनका आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में है तथा पूर्णरूप से भरा हुआ हो। प्रपत्र का कोई भी स्तंभ खाली नहीं होना चाहिए । यदि कोई सूचना अप्रयोज्य या शून्य हो तो कृपया इसे स्पष्ट करें । केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो संपूर्ण हों और अपेक्षित दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा अंतिम तिथि या उससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त हों । अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त अथवा गैर-प्रपत्र अथवा असंपूर्ण अथवा अग्रिम आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

7. इस रिक्ति के ब्यौरे लिंक सर्कूलर्स के अंतर्गत योजना आयोग के वेबसाइट http://www.planningcommission.gov.in पर भी उपलब्ध हैं ।

भवदीय,

(,l.के'kok vÕ;j)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23096531

प्रतिलिपि -

1. अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति ।
2. ofj' lykgdkj (i'kklu) A
3. सूचना पट्ट ।

(,l.के'kok vÕ;j)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुबंध

योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखीकरण अधिकारी के पद से संबंधित पात्रता की शर्तों आदि का विवरण

---

1. वेतनमान : 12000-375-16500 रू.

2. पद से संबंधित कार्य :

1. योजना आयोग पुस्तकालय का सामान्य प्रशासन, योजना, संगठन तथा पुस्तकालय प्रबंधन ।
2. पुस्तकालय समिति के साथ इसके सदस्य-सचिव के रुप में संबद्ध कार्य ।
3. प्रलेखन तथा ग्रंथ विज्ञान संबंधी निरीक्षण कार्य ।
4. अनुसंधानकर्ताओं को उनकी अनुसंधान परियोजनाओं की योजना तथा प्रलेखन में सहायता करना और आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
5. योजना आयोग के अधिकारियों तथा सदस्यों में पुस्तकालय सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा देना ।

3. पात्रता (अंतिम तिथि को गण्य) :

केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन / मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / विश्वविद्यालयों / लोक उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर / विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर / विभाग में रू.10000-15200 रू. या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित मद संख्या 6 में दर्शाए गए निर्धारित अर्हताएँ और अनुभव है ।

4 आयुसीमा :

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक न हो ।

5. **पात्रता निर्धारित करने हेतु अंतिम तिथि :**

इस विज्ञापन के अनुसार आवेदनों की प्राप्ति के लिए यह आंतिम तिथि होगी ।

-/-

6. पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव :

अनिवार्य

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री या समतुल्य ।

(iii) किसी पुस्तकालय में 12 वर्ष का अनुभव जिसमें प्रलेखीकरण और संदर्भ-सूची कार्य का अनुभव सम्मिलित है ।

वांछनीय

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य।

(ii) पत्रिकाओं में प्रकाशित कार्य (साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा)।

(iii) अंग्रेजी से भिन्न किसी एक यूरोपीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान ।

7. प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि :

प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/29/91-स्था.(पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में, शर्तें संबद्ध प्राधिकरण के परामर्श से तय की जाएंगी ।

****

[आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्रों के प्रपत्र]

सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

योजना आयोग में मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-सह-प्रलेखन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/सुश्री ______________________________, __________________________ के वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की संवीक्षा करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा संतोषजनक है ।

(उप सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए)
दिनांक :
नाम और कार्यालय की मोहर :

सतर्कता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-सह-प्रलेखन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री ______________________________, __________________________ के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
दिनांक :
नाम और कार्यालय की मोहर :

दंड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-सह-प्रलेखन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री ______________________________, __________________________ पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
दिनांक :
नाम और कार्यालय की मोहर :